संख्या– / जी0एस0 / शिक्षा / A3-98/2019

प्रेषक,

रमेश कुमार सुधांशु,
कुलाधिपति के सचिव।

सेवा में,

कुलसचिव,
कुमाऊँ विश्वविद्यालय,
नैनीताल।

राज्यपाल / कुलाधिपति सचिवालय उत्तराखण्ड देहरादून : दिनांक : 12 सितम्बर, 2019

महोदय,

कृपया कुलपति के पत्र संख्या : मान्यता / के0यू0 / 2019–2020 / 477 दिनांक 18 जुलाई, 2019 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा **एन0एस0 गहलौत मैमोरियल लॉ कॉलेज, रायपुर मडैया, जसपुर, उधमसिंहनगर को एल0एल0बी0 (त्रिवर्षीय)** पाठ्यक्रम में सत्र 2019–20 से 2021–22 तक की नवीन अस्थाई सम्बद्धता का प्रस्ताव कुलपति की संस्तुति के साथ उपलब्ध कराया गया है।

2– यू0जी0सी0 विनियमों के अनुसार वर्ष दर वर्ष के आधार पर सम्बद्धता निर्गत किये जाने के पूर्व निर्णय के क्रम में संस्थान को शैक्षिक सत्र 2019–20 के सम्बद्धता प्रस्ताव के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निरीक्षण मण्डल, कुलसचिव व कुलपति की संस्तुति के दृष्टिगत उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम–1973 (यथा प्रवृत्त उत्तराखण्ड राज्य) की धारा–37 (2) के अन्तर्गत मा0 कुलाधिपति महोदया द्वारा उक्त संस्थान को **एल0एल0बी0 (त्रिवर्षीय)** पाठ्यक्रम में 120 सीट के साथ सत्र 2019–20 हेतु नवीन अस्थाई सम्बद्धता पर पूर्वानुमोदन / पूर्व स्वीकृति निम्न उपबन्धों के साथ प्रदान कर दी गई है कि :–

(1) सम्बन्धित विद्यालय, मानक संस्था बी0सी0आई0 की समस्त शर्तें पूर्ण करेगा।

(2) नियामक संस्था की शर्तें व यू0जी0सी0 विनियमों के प्रावधानों का पालन पूर्ण होने की दशा में कुमाऊँ विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद केवल सत्र 2019–20 हेतु नवीन अस्थाई सम्बद्धता विषयक निर्णय लेकर यथाशीध्र आदेश जारी करेगी।

(3) सम्बद्धता विषयक आदेश जारी होने के उपरान्त बी0सी0आई0 से पाठ्यक्रम का अनुमोदन अवश्य प्राप्त किया जायेगा व आवश्यक शैक्षणिक स्टॉफ की नियुक्ति उपरान्त विश्वविद्यालय शैक्षणिक स्टॉफ का अनुमोदन प्रमाण–पत्र जारी करेगा।

(4) बी0सी0आई0 से मान्यता प्राप्त होने से पूर्व विद्यालय किसी छात्र को पाठ्यक्रम में प्रवेश नहीं देगा।

3-- उपरोक्तानुसार विश्वविद्यालय द्वारा की गई कार्यवाही की सूचना मा0 कुलाधिपति महोदया के अवगतार्थ भी उपलब्ध कराई जाय।

4– अग्रेत्तर वर्षो हेतु सम्बन्धित वर्षो में यथा समयसारिणी प्रस्ताव प्राप्त होने पर विचार किया जायेगा। तद्नुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(रमेश कुमार सुधांशु)
कुलाधिपति के सचिव।

संख्या 2149 (1) / जी0एस0 / शिक्षा / A3-98 / 2019 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. सचिव, भारतीय विधिज्ञ परिषद, 21–राउज ऐवेन्यु, इन्स्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली–110002 ।
3. निदेशक, उच्च शिक्षा, हल्द्वानी।
4. प्रबन्धक / प्राचार्य, सम्बन्धित संस्थान।
5. कम्प्यूटर प्रकोष्ठ / गार्ड फाइल हेतु।

आज्ञा से,

(विक्रम सिंह यादव)
कुलाधिपति के संयुक्त सचिव।